(i) 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक प्राईमरी स्कूल का प्रावधान करना। अ०जा०/अ०ज०जा० की आबादी वाली बस्तियों में इस नियम में 200 व्यक्तियों तक की जनसंख्या की छूट दी जा सकती है।

(ii) आपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत सूची प्राईमरी स्कूलों के लिए भौतिक सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्राइमरी स्कूलों को न्यूनतम स्तर प्रदान किया जा रहा है।

(iii) उन बच्चों को अंश कालिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा का प्रावधान करना, जो अपना गुजारा करने के लिए कार्य करते है अथवा किसी और तरह से अपने परिवार की मदद करते हैं अथवा जो बच्चे पूरे दिन के स्कूलों में भाग नहीं ले पाते।

(iv) अ०जा०/अ०ज०जा० के परिवारों से सम्बन्धित बच्चों तथा लड़कियों को निशुल्क वर्दियां, निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा मध्याह्न भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान करना।

(v) प्राईमरी स्तर तक सभी बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षण का प्रावधान करना।

इस सम्बन्ध में अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितनी संख्या में बच्चे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं अथवा कार्य करने वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मात्र अकेले शिक्षा का प्रावधान करना ही बच्चों को काम करने की प्रथा को रोकने के लिए पर्याप्त न होगा बल्कि इसके साथ साथ परिवार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कुछ अन्य कदम उठाने भी जरूरी हैं।

राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लंबित विधेयक

131. डा० अबरार अहमद : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कितने विधेयक हैं जिन्हें संसद् द्वारा पारित तो किया जा चुका है परन्तु जिनके सम्बंध में राष्ट्रपति की अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) ये विधेयक कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या संसद्-सदस्यों की पेंशन और अन्य सुविधाओं के संबंध में संसद् द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया है, यदि हां, तो वे आपत्तियां क्या हैं और इस संबंध में सरकार क्या समाधान कर रही है; और

(घ) क्या ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा है और यदि नहीं, तो क्या यह निर्धारित की जा सकती है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) (क) हमारे अभिलेख के अनुसार एक विधेयक अभी लंबित है और दूसरा विधेयक, संसद् को, उसके द्वारा पुनर्विचार के लिए, वापिस भेज दिया गया है।

(ख) और (ग) (i) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986, 19 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए, भेजा गया था। उक्त विधेयक राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 1990 को इस संदेश के साथ कि इस पर संसद् के दोनों सदन पुनर्विचार करें, अध्यक्ष, राज्य सभा को वापिस कर दिया गया है।

(ग) संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1991, 19 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति को, उनकी

अनुमति के लिए, भेजा गया था। हालांकि विधेयक राष्ट्रपति द्वारा लौटाया नहीं गया है फिर भी, 12 मार्च, 1991 को लोक सभा में लाए गए और स्वीकार किए गए संशोधनों की विधिमान्यता के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इनकी संवीक्षा की जा रही है।

(घ) ऐसे विधेयकों को लौटाए जाने के लिए न तो कोई समय-सीमा नियत की गई है और न नियत किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव ही सरकार के विचाराधीन है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

123. **डा० अबरार अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिवार नियोजन के राज्यवार लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये थे तथा इस संबंध में इनकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) क्या यह सच है कि उपलब्धियों को दर्शाने वाले आंकड़ों में फर्जी आंकड़ों को शामिल किया गया था; और

(ग) सरकार बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों को वर्षवार, राज्यवार और विधिवार रूप में दर्शाने वाले चार विवरण उपाबन्ध में दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट 159, अनुपत्र सं० 7]

(ख) परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के संबंध में उपलब्धियों के आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सूचित किए गए निष्पादन आंकड़ों पर आधारित हैं। इस प्रकार के आंकड़ों की सत्यता को निश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा परिवार नियोजन स्वीकारकर्ताओं के संबंध में लगातार नमूना सत्यापन किया जाता है। इन एजेंसियों की उपलब्धियों को उपयुक्त उपचारी उपाय करने हेतु फिर से राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है ताकि कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की नीति में शामिल हैं:—स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार/स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा "शिशु रक्षा दर को बढ़ाना, नए गर्भ निरोधक तरीके प्रदान करना, जनसंख्या शिक्षा को गहन बनाना, सामुदायिक सहयोग को बढ़ाना उन्नत संचार विधियों को अपनाना स्वैच्छिक सगठनों को आर्थिक सहयोग, निचले स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण के अधिक प्रयास, अधिक अतर-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना महिला शिक्षा और महिलाओं के स्तर में सुधार जैसे संबंधित विकास कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र-गहन तरीकों को अपनाना।

Export of Basmati Rice

123. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to export Basmati Rice during the current year;

(b) if so, what are the qualities there of; and

(c) what are the names of the coun tries to which rice would be exported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED):(a) to (c) The export of Basmati Rice is freelif allowed under OGL. Government itsett does not export basmati rice. There